न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 02/2012 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :– मुख्तयारसिंह पुत्र बघेलसिंह जाति जटसिख निवासी कोनी थाना हिन्दुमल कोट जिला श्रीगंगानगर

———अपीलान्ट

––बनाम––

राजस्थान सरकार।

———रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– श्री ओमप्रकाश शर्मा — अभिभाषक अपीलांट

श्री चतुर्भुज — सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 14.05.2019

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 08.07.2010, जिसके द्वारा अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 1/2002 डीएम श्रीगंगानगर निरस्त किया गया, के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट के नाम से शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 1/2002 डीएम श्रीगंगानगर बना हुआ है, जिस पर 12 बोर एसबीबीएल गन नं. 19616 दर्ज है और दिनांक 2.1.2009 तक नवीनीकृत था। अपीलांट ने अपने उक्त शस्त्र लाईसेंस को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण करवाने हेतु जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष दिनांक 1.1.09 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर से रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 2238 दिनांक 9.2.09 को प्रेषित की है, जिसमें अपीलांट के विरूद्ध सात आपराधिक प्रकरण दर्ज होने का उल्लेख करते हुए आवेदक के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण करने की अनुशंषा नहीं की जाती है" की टिप्पणी की गई है। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की उक्त रिपोर्ट को आधार मानते हुए अधिनस्थ न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.07.2010 से अपीलांट का उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत हुई है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। वरवक्त बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने लिखित बहस प्रस्तुत की तथा राज्य पक्ष की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट श्री ओम प्रकाश शर्मा द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में मुख्य कथन है कि जिला दण्ड नायक ने नवीनीकरण से पहले पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर से रिपोर्ट मंगवाई, जिसमें अपीलांट के विरूद्ध 7 मामले दर्ज होने पाये गये हैं, उक्त सभी आपराधिक मामलों का फैसला हो चुका है तथा वर्तमान में अपीलांट के विरूद्ध कोई मामला लम्बित नहीं है तथा अपीलांट का अनुज्ञा पत्र दिनांक 2.1.09 तक नवीनीकृत है। अपीलांट अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर रहता है, जहॉ जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र की अति आवश्यकता है। अतः अपील अपीलांट मंजूर फरमाई जावे।

5. विद्वान सहायक लोक अभियोजक श्री चतुर्भुज ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट दिनांक 9.2.09 के अनुसार अपीलांट के विरूद्ध सात आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए हैं। मु.नं. 93/76 अन्तर्गत धारा 341–323 आईपीसी में राजीनाम/25.6.76, मु.नं. 93/85 अन्तर्गत धारा 324–34 आईपीसी, सजा/4पीओ एक्ट के तहत 1 वर्ष तक नेकचलनी व 2000 के जमानत मुचलकों पर नेकचलनी पर पाबन्द, मु.नं. 153/90 अन्तर्गत धारा 451–427–323 आईपीसी राजीनामा/3.4.91, मु.नं. 223/91 धारा 341–323–379 आईपीसी, बरी/14.12.94, मु.नं. 45/92 अन्तर्गत धारा 323–341–147 आईपीसी राजीनामा/27.5.94, मु.नं. 41/01 अन्तर्गत धारा 341–323–504–34 आईपीसी राजीनामा/16.3.2002 एवं मु.नं. 10/08 अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ पेण्डिग अदालत बताते हुए आवेदक के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण करने की अनुशंषा नहीं की जाती है। ऐसे आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति के पास शस्त्र रहने से लोक शांति, सुरक्षा व कानून व्यवस्था के लिये खतरा पैदा हो सकता है। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो उचित है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

6. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्याानपूर्वक अवलोकन किया । जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.7.10 के विरुध्द इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 2.1.2012 को प्रस्तुत की गयी है । धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रा.पत्र एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए न्याय हित में अपील अपीलान्ट मियाद में सुमार की जाती है । विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस में मुख्य कथन है कि जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट के अनुसार सात आपराधिक प्रकरण दर्ज

हुए है परन्तु सभी प्रकरणों का निस्तारण हो चुका है। वर्तमान में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है, ना ही कोई विचाराधीन है। मुकदमों के निस्तारण के बाद शस्त्र लाईसेंस का नवीनीकरण दिनांक 2.1.09 तक हो रखा है। विद्वान सहायक लोक अभियोजक का कथन है कि जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट के विरूद्ध आई.पी.सी. की विभिन्न धाराओं में सात मुकदमें दर्ज हुए हैं। इससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट प्रारम्भ से ही आपराधिक प्रवृति का रहा है। आपराधिक प्रवृति के व्यक्ति के पास शस्त्र रहने से व्यापक लोक शांति, सुरक्षा और सार्वजनिक कानून व्यवस्था के लिये खतरा रहता है, जिससे हम सहमत हैं। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर ने भी इन्हीं मुकदमों के मध्यनजर आवेदक को शस्त्र लाईसेंस नवीनीकरण करने की अनुशंषा नहीं की है, जो उचित प्रतीत होती है। अपीलांट के आपराधिक पृष्ठभूमि की देखते हुए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के अपीलाधीन आदेश में हम किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हैं । अभिभाषक अपीलांट ने हमारे समक्ष कोई नये साक्ष्य आदि भी प्रस्तुत नहीं किये हैं, जिस पर गौर किया जा सके।

7. उपरोक्त तथ्यों के अनुसार अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.07.2010 यथावत रखते हुए अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

8. तद्अनुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा मिसल बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 14.05.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर